शासनादेश सं0-41/2021/38-6002(099)/5/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक. 03 दिसम्बर, 2021

विषय. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु अनुदान संख्या-83(अनु0जाति मद) के अंतर्गत अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश की धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-3584/टीसी/आजीविका/लेखा/2021-22 दिनांक 29-11-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अनुदान सं0-83 (अनु0जाति मद) हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रांश (60 प्रतिशत) प्रथम किश्त(द्वितीय ट्रेंच) धनराशि रू0 127.21 करोड एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (40 प्रतिशत) रू0 84.81 करोड कुल धनराशि रू0 212.03 करोड के सापेक्ष निर्गत होने हेतु अवशेष धनराशि रू0 142.86554 करोड की धनराशि पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अनुदान संख्या-83 (अनु0जाति मद) में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण संलग्न बीएम-9 प्रपत्र संख्या-आर0ई0-157/2021, दिनांक-02-12-2021 के अनुसार पंचायती राज विभाग की स्वच्छ भारत मिशन के अनुदान सं0- 83 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के0-60/रा0-40/के+रा)-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अंतर्गत हो रही बचत की धनराशि से पुर्नविनियोग के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुदान सं0- 83 के लेखाशीर्षक-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के0-60/रा0-40/के+रा)-27 सब्सिडी में निर्गत होने हेतु अवशेष धनराशि रू0 142.86554 करोड (रूपये एक अरब बयालिस करोड छियासी लाख पचपन हजार चार सौ मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः.

1- आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सुनिश्चित करेंगे।

2- बचत की मद में पुन: धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

3- प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रश्नगत धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है, स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपभोग किये जाने में अन्य वित्तीय नियमों का अनुपालन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

5- धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर, अपितु यथावश्यकता चरणों में किया जायेगा।

6- धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

7- स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता हैए तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11- धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- आयुक्त ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

13- स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2501- ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01- समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाए-0102- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के0-60/रा0-40/के+रा)-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।

4. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2 के आर.ई.-157/2021,दिनांक-02-12-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक.यथोक्त।

भवदीय
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर लखनऊ।
7. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8. पंचायती राज अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. ग्राम्य विकास अनुभाग-3,/नियोजन अनुभाग-4
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बी0एम0-9(पार्ट-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158

अनुदान संख्या व नामः 83 व ग्राम्य विकास विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) वित्तीय वर्ष 202-22

(धनराशि रु0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के0-60/रा0-40/के+रा)-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	42647.45	42647.45	14286.554	14286.554	28360.896

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक आयोजनागत	वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण हेतु धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6
2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के0-60/रा0-40/के+रा)-27 सब्सिडी	51665.23	65951.784	14286.554	14286.554	65951.784

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः.

2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्य सरकार के बजट प्राविधान में धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण पुनर्विनियोग कराया जा रहा है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर.ई.157/2021, दिनांक-02 दिसम्बर,2021

सेवा में

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद।

फूल चन्द्र यादव
अनु सचिव
वित्त विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in